मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 2312 /3159/24/19/भो　　　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 15/07/2025

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता (B&R)
   म. प्र. लोक निर्माण विभाग
   निर्माण भवन, भोपाल

2. प्रबंध संचालक
   म. प्र. सड़क विकास निगम
   45-ए, अरेरा हिल्स,भोपाल

विषय: फ्लाइओवर एवं रेल्वे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण में संबंधित प्राधिकरणों से समन्वय के संबंध मे दिशानिर्देश।

प्रदेश में फ्लाइओवर एवं रेल्वे ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण मोटे तौर पर प्राय: व्यावहारिक परिस्थितियों मे उपलब्ध भूमि, स्थल की मौजूदा संरचनाओं, यातायात प्रवाह के अनुसार किया जाता है, जिसमें कई बार तीव्र मोड़ भी होते हैं, ऐसी स्थिति में Geometric Design जिसमें Curve, वाहन की गति रेडियस (turning radius) सुपर ऐलीवेशन (super elevation) और Transition length के स्पष्ट प्रावधान होना आवश्यक होता है। फ्लाइओवर एवं रेल्वे ओवरब्रिज (ROB) की योजना एवं निर्माण के लिए Indian Roads Congress (IRC) ने एकरेखण (Alignment) तय करने के लिए स्पष्ट मानक और दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य यातायात की सुरक्षा, संरचनात्मक स्थिरता और सुगम प्रवाह सुनिश्चित करना है।

इस संबंध में, IRC द्वारा निम्नानुसार महत्वपूर्ण कोड जारी किए गए है जिनका पालन किया जाना आवश्यक है, यहां यह उल्लेखनीय है कि यह सूची केवल उदाहरण स्वरूप दी गई है, तकनीकी अमले को विषय से संबंधित सभी IRC कोड्स एवं गाइडलाइन का अनुपालन करना चाहिए।

- **IRC:5-2024** – Standard Specifications and Code of Practice for Road Bridges, Section I – General Features of Design (Ninth Revision)
- **IRC:6-2017** – Standard Specifications and Code of Practice for Road Bridges, Section-II Loads and Load Combinations (Seventh Revision)
- **IRC:92-2017** – Guidelines for the Design of Interchanges in Urban Areas (First Revision)
- **IRC:SP-90-2023** - Manual for Grade Separators and Elevated Structures (First Revision)

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन फ्लाइओवर एवं ROB परियोजनाओं में जहाँ डिजाइन की अंतिम स्वीकृति संबंधित एजेंसी – जैसे रेल्वे अथवा नगरीय निकायों द्वारा दी जाती है। अतः तकनीकी परीक्षण एवं सुधार कार्यों को प्रभावी रूप से निष्पादित करने हेतु संबंधित प्राधिकरणों से निम्नानुसार समन्वय आवश्यक है।

रेल्वे ओवरब्रिज (ROB) के मामलों में:

- रेल्वे विभाग द्वारा दी गई लोकेशन एवं डिज़ाइन स्वीकृति के आधार पर यदि निर्माण में तीव्र मोड़ (Sharp Curves) अथवा अव्यवस्थित ट्रांजिशन पाए जाते हैं, तो संबंधित ज़ोनल रेल्वे मुख्य अभियंता से समन्वय स्थापित कर आवश्यक डिज़ाइन संशोधन किया जाए।

फ्लाइओवर के मामलों में:

- नगरीय क्षेत्रों में प्रस्तावित फ्लाइओवरों के लिए संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों से भूमि, ट्रैफिक मूवमेंट तथा उपलब्धता संबंधी तकनीकी समन्वय आवश्यक है।
- निर्माण पूर्व एवं पश्चात डिज़ाइन सुधार में स्थानीय एजेंसी की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे संरचना व्यावहारिक एवं सुरक्षित हो।

ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु:

- ज्योमेट्रिक डिजाइन मानक (Geometric Design Standards) अनुसार, सड़क श्रेणी और डिज़ाइन स्पीड के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल का परीक्षण करेंगे।
- मोड पर कर्व (Curve) की डिजाइन, वाहन की गति (speed) एवं रेडियस के आधार सुपरइलेवेशन (Superelevation) एवं Transition Length का प्रावधान है अथवा नहीं।
- मोड पर Transition Curves एवं ढलान (Gradient) की स्थिति में सुधार की आवश्यकता का विश्लेषण।
- स्थल की site condition एवं भौगोलिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए समुचित समाधान प्रस्तुत करना।
- यातायात की दिशा और प्रवाह (Traffic Flow) मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक का अविरल प्रवाह, रैम्प की लंबाई, प्रवेश/निकास की ज्यामिति आदि का परीक्षण।
- प्रस्तावित/निर्माणाधीन सेतु से लगते हुए मुख्य मार्ग में Entry/Exit की स्थिति का परीक्षण।

उपरोक्त के परिपेक्ष में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:

1. संबंधित मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजनाओं की ज्योमेट्रिक डिजाइन, IRC मापदंड एवं MoRTH की गाइडलाइन अनुसार ही बनाए जा रहे हैं।
2. ऐसे प्रकरण जो जटिल है, उन्हें प्रमुख अभियंता (B&R) की अध्यक्षता में गठित समिति से निराकरण करवा लिया जावे।

अतः प्रमुख अभियंता (B&R) तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उपरोक्तानुसार समन्वय सुनिश्चित करेंगे एवं सभी संबंधित एजेंसियों को अपेक्षित सहयोग देने हेतु यथोचित पत्राचार करें।

15/7/25

(ए. आर. सिंह)
उप सचिव, म.प्र. शासन
लोक निर्माण विभाग

पृ क्र. 2313 /3159/24/19/प्रो — भोपाल, दिनांक 15/07/2025

प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, म. प्र शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल को सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक, रेल्वे, ...ज़ोन को सूचनार्थ।

15-7-25
उप सचिव, म.प्र. शासन
लोक निर्माण विभाग